परिपत्र संख्या-स0द0-रेलवे जॉच - 2018-19/ 1819078 / 920 / वाणिज्यकर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश

(सचलदल अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :28 अगस्त, 2018

समस्त

जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0)/

वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश।

विषय:-रेल मार्ग से आने - जाने वाले माल पर हो रहे करापवंचन पर प्रभावी रोकथाम के सम्बन्ध में।

रेल मार्ग से परिवहन किये जा रहे माल के मूल्य में अवमूल्यन अथवा वास्तविक माल से भिन्न माल की घोषणा करते हुए करापवंचन किये जाने का तथ्य मुख्यालय के संज्ञान में आ रहा है। किसी जोन में रेल मार्ग से आने एवं जाने वाले माल पर हो रहे करापवंचन की रोकथाम के उद्देश्य से ऐसे आने एवं जाने वाले माल की जॉच आवश्यक है। रेल मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन रेलवे बोर्ड द्वारा जारी फ्रेट मार्केटिंग परिपत्र सं0-12/2018 दिनांक 06-04-2018 के बिन्दु -7 में राज्य कर विभाग द्वारा लाईसेन्स फीस जमा करने पर रेल परिसर में पार्सल आफिस के पास एक जॉच केन्द्र स्थापित करने हेतु एक स्थान उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित रेल अधिकारियों को निर्गत किया गया है। इसी परिपत्र के बिन्दु संख्या-8 में रेलवे पार्सल कार्यालय के अभिलेखों में किसी माल के प्रेषण से सम्बंधित पारेषक एवं पारेषिती का विवरण भी एकत्र किये जा सकने का उल्लेख है।

अत: निर्देशित किया जाता है कि अपने जोन में रेलवे के सक्षम प्राधिकारी से सम्पर्क स्थापित करते हुए रेल परिसर में पार्सल घर के समीप एक ऐसे स्थान , जहॉ से आने एवं जाने वाले माल की सुविधाजनक ढ़ंग से निगरानी की जा सके , को चिन्हित करते हुए रेलवे बोर्ड के उक्त संदर्भित परिपत्र की मंशा के अनुरुप वहॉ एक स्थान आवंटित करा लिया जाए। इस स्थान के आस-पास सचलदल अधिकारियों की ड्यूटी कैमरायुक्त वाहनों के साथ 24x7 लगाई जाये जिससे रेल मार्ग से आने एवं जाने वाले माल पर संभावित करापवंचन की रोकथाम प्रभावी ढंग से की जा सके। साथ ही साथ जांच कार्य करने वाली इकाइयों के नामित अधिकारी रेलवे पार्सल कार्यालय अभिलेखों से माल प्रेषण एवं छूटने से सम्बंधित वॉछित सूचनाऐं एकत्र करेंगे एवं उसे अपने जोन के एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) के कार्यालय में प्राप्त करायेंगे। एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) का यह दायित्व होगा कि प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण अपने अधीनस्थ वि0अनु0शा0 इकाइयों से कराते हुये यथावश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे।

28/8

(कामिनी चौहान रतन)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 व दिनांक:उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1.अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

2.एडीशनल कमिश्नर(जी0एस0टी0/विधि)वाणिज्य कर मुख्यालय।

3.एडीशनल डायरेक्टर, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान।

4.समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।

5.डिप्टी कमिश्नर(आई0टी0)वाणिज्य कर, मुख्यालय को एक प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

28/8/18

(अशोक कुमार सिंह)

ज्वाइण्ट कमिश्नर(सचलदल)वाणिज्य कर,

मुख्यालय, लखनऊ।